

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल अधिकारी महोदय म०प्र० ग्वालियर,



AG-1759-II-16

1. अनिल कुमार द्विवेदी स्व० शेषमणि द्विवेदी
2. अरुण कुमार द्विवेदी स्व० शेषमणि द्विवेदी
3. विजय कुमार द्विवेदी स्व० शेषमणि द्विवेदी
4. संजय कुमार द्विवेदी स्व० शेषमणि द्विवेदी
5. अमित कुमार द्विवेदी पिता स्व० शेषमणि द्विवेदी निवासी ग्राम कोलगढ, सर्किल डेल्ही, तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म०प्र०) -----निगराकारगण

बनाम

1. रमेश कुमार द्विवेदी उम्र-47 वर्ष, तनय राममनोहर द्विवेदी पेशा - खेती व नौकरी,
2. रामकली पत्नी राममनोहर द्विवेदी पेशा - घरकार्य, निवासी ग्राम कोलगढ, सर्किल डेल्ही, तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म०प्र०)
3. जनक किशोरी उर्फ जानकी देवी पत्नी स्व० शेषमणि द्विवेदी निवासी ग्राम कोलगढ, सर्किल डेल्ही, तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म०प्र०) -----गैरनिगराकारगण

पुनरीक्षण बिरुद्ध आदेश दिनांक 12/5/2016 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म०प्र०)

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०राजस्व संहिता सन् 1959 ई०।

*(Handwritten signature)*


## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

70

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1759-दो/16

जिला - रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/05/2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान के प्रकरण क्रमांक 37/अ-6/15-16 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.2019 को कलेक्टर जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">             (बी.एम. शर्मा)            सदस्य         </p>	